

1 अप्रैल से मज़दूरों को मल्लिगा कैशलेस इलाज

चर्चा में क्यों?

18 मार्च, 2022 को आयुष्मान भारत नरिमयम सोसाइटी के सीईओ अनुराग चौधरी ने बताया कि मध्य प्रदेश में बिल्डिंग, सड़क, ब्रिज, तालाब जैसी साइट्स पर निर्माण कार्यों में लगे मज़दूरों को 1 अप्रैल से कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि बिल्डिंग, सड़क, ब्रिज जैसी जगह पर निर्माण करने वाले 12 लाख 50 हजार मज़दूरों को राज्य शासन के आयुष्मान भारत नरिमयम सोसाइटी और कर्मकार मंडल द्वारा अनुबंध के तहत आयुष्मान योजना से जोड़ा जा रहा है।
- अनुबंध के तहत कर्मकार मंडल में दर्ज श्रमिक परिवारों को कार्ड बनाकर फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत प्रदेश के साढ़े 12 लाख श्रमिक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा भी मिलेगी।
- प्रदेश में 90 फीसदी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। इन श्रमिकों को आयुष्मान योजना से फ्री इलाज की सुविधा मिल सकेगी। मज़दूर कई बार निर्माण कार्यों के दौरान होने वाले हादसे में घायल हो जाते हैं और आर्थिक तंगी के चलते समय पर इलाज नहीं करा पाते, लेकिन आयुष्मान योजना से वे इलाज करा सकेंगे।
- कर्मकार मंडल में पंजीकृत मज़दूरों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कार्ड बनाकर दिये जाएंगे। इसके लिये कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कैंप लगाए जाएंगे। वहीं, कर्मकार मंडल के कार्डधारी मज़दूर श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड और समग्र आईडी के ज़रिये कयोस्क सेंटर से भी कार्ड बनवा सकते हैं।
- आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले श्रमिकों के इलाज का खर्च कर्मकार मंडल द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिये प्रतिमज़दूर करीब 1052 रुपए की राशि सालाना प्रीमियम के तौर पर नरिमयम सोसाइटी में कर्मकार मंडल द्वारा जमा की जाएगी।